न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 191/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना पनियाला

बनाम

1. श्री रामनिवास पुत्र श्री छाजूराम निवासी ढाणी मालोडी की, तन नारायणपुर, थाना नारायणपुर, जिला अलवर।

4. निर्णय दिनांक : 27.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना पनियाला, जिला जयपुर (ग्रामीण) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.11.2016 को थानाधिकारी थाना पनियाला के द्वारा एक पिक अप नम्बर आरजे–02–जी–9642 में 10 ड्रम डीजल के भरकर चालक के पास परिवहन करने का लाईसेन्स नहीं मिलने पर पिक अप को मय डीजल ड्रमों के डिटेन किया। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारियों को कार्यवाही की सूचना दी गई। जिस पर प्रवर्तन अधिकारी श्री कुशाल बिलाला द्वारा मय जांच दल के थाने पंहुचे। जिन्हें थाना परिसर में पूर्व से डिटेनशुदा वाहन पिक नम्बर आरजे–02–जी–9642 मय डीजल के ड्रम भरे हुये मौजूद मिली, जिसके पास चालक रामनिवास पुत्र श्री छाजूराम उपस्थित था। गाडी को चैक करने पर सभी ड्रम करीब 200 लीटर की क्षमता के है, जिनमें कुल 1500 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। चालक को उक्त डीजल को कब्जे में रखने व परिवहन करने के बारे में बिल्टी व वैध कागजात के बारे में पुछा तो अपने पास डीजल की कोई बिल्टी वैध कागजात होना नहीं होना बताया तथा कहा कि वह यह डीजल निर्मल पैट्रोल पम्प हरियाणा से भरकर नारायणपुर बेचने के लिये लेकर जा रहा था। ऐसी स्थिति में कुल 1500 लीटर डीजल मय 10 प्लास्टिक ड्रम व इनके अवैध परिवहन में काम आ रही पिक अप नम्बर आरजे–02–जी–9642 को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। दिनांक 28.11.2016 को श्री कैलाश यादव पुत्र प्रभुदयाल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 13.12.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक बहस में नियत रहने के दौरान अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थीगण में से कोई उपस्थित नही हुआ। इसलिए इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.05.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र और पत्रावली अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि दिनांक 20.11.2016 को थानाधिकारी पुलिस थाना पनियाला द्वारा एक पिक अप नम्बर आरजे–02–जी–9642 में 10 प्लास्टिक के ड्रम डीजल के भरकर चालक के पास परिवहन करने का लाईसेन्स नहीं मिलने पर पिक अप को मय डीजल ड्रमों के जब्त किया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर व

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

आज तक जब्त डीजल के बारे कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये ना ही कोई सन्तोषप्रद जवाब दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र से एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन प्रस्तुत करने से प्रतीत है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित अवैध कृत्य कारित किया गया है। मौके पर अप्रार्थी का यह स्वीकारानामा कि वह यह डीजल निर्मल पैट्रोल पम्प हरियाणा से भरकर नारायणपुर बेचने के लिये लेकर जा रहा था, से डीजल के अवैध खरीद–बेचान व परिवहन की पुष्टि होती है। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त कुल 1500 लीटर डीजल मय 10 प्लास्टिक ड्रम व इनके अवैध परिवहन में काम आ रही पिक अप नम्बर आरजे–02–जी–9642 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर